1	2	3	4
85	Upendra Vajpeyi . . .	DII/315, Pandara Road	Feb.70
86	V. M. Soluja	DII/6/4, Anderews Ganj	17-6-78
87	Virender Kumar . . .	DII/56, Kaka Nagar	28-3-76
88	V. N. Nair	DII/252, Pandara Road	26-10-73
89	V. S. Sanghvi	10-A, Sujan Singh Park	28-4-78
90	V. V. Eswaran . . .	C-II/75, Shahjahan Road	23-9-75
91	Virendra Prabhakar . . .	CII/32, Dr. Z. H. Marg	30-11-81
92	V. K. M. Kutty . .	DI/25, Rabindra Nagar	7-2-77
93	Virendra Sanghi . . .	C-12, Adn. Ganj Extn.	4-6-92
94	Vijay Shankar . . .	A-12, —do—	4-6-92
95	V. Rajagopal	C-14, —do—	4-6-92
96	Yogesh B. Mathur . . .	B-15, Adn. Ganj Extn.	4-6-92

प्लेग महामारी फैलाने वाली अस्वास्थ्यकर स्थितियां

632. **श्री रजनी रंजन साहू** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में प्लेग की महामारी फैलने का एक कारण नगरों विशेषत: सूरत, दिल्ली आदि जैसे नगरों के गन्दी बस्ती क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकर स्थितियां और कूड़े का इकट्ठा होना था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कूड़ा हटवाने और गन्दी बस्तियों में अस्वास्थ्यकर स्थितियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थंगन) : (क) और (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्लेग फैलने एवं अन्य संबद्ध मामलों के लिए उत्तरदायी तथ्यों की जानकारी हासिल करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया ताकि भविष्य में इस तरह की बिमारियों से बचा जा सके समिति ने छः माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट देनी है ।

कूड़े-कचरे के हटाए जाने और स्लम बस्तियों की गंदी हालत को दूर करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में संबद्ध शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आवश्यक उपाय किए जाते हैं । राज्य योजना के अंतर्गत आने वाली शहरी स्लम बस्तियों के पर्यावरण सुधार की योजना का उद्देश्य स्लम बस्ती वासियों को जल आपूर्ति, सीवर, सामुदायिक स्नानागार, शौचालय आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधायें देकर उनके रहन-सहन मे सुधार लाना है। केन्द्र प्रवर्तित-शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम (यू. बी.एस.पी.) से शहरी निर्धन के जीवन स्तर में सामुदायिक संगठन, गतिशीलन, समुदायों को अधिकार देकर एवं विशेष तौर पर औरतों की भागीदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का निर्माण

633. **श्री अजीत जोगी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1992 और 1993 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा फ्लैटों के

निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या एल०आई०जी०/जनता फ्लैटों की अपेक्षा एम०आई०जी० फ्लैटों के निर्माण की संख्या कम है ;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है और अधिक एम०आई०जी० फ्लैटों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) प्रति फ्लैट, श्रेणीवार, क्षेत्रवार/स्थानवार/मंजिल/वार लागत कितनी है और पंजीकृत लोगों को किस दर पर इसका आबंटन किया जा रहा है; और

(च) अधिक लाभ देने का क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) :(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान निर्माण के लिए लक्षित एवं वास्तव में निर्मित मकानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है **(नीचे देखिए)** ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है इसमें कमी के कारण इस प्रकार हैं :—

(i) क्षेत्र के बाहरी भाग के विद्युतीकरण में विलंब ।

(ii) नगर निकायों द्वारा एक मुश्त जल व्ययन व्यवस्था संबंधी प्रावधानों में विलम्ब ।

(iii) भवन निर्माण सामग्री यथा सीमेंट, स्टील पाइप आदि की यदा कदा कमी ।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर विभिन्न श्रेणी के फ्लैटों का निर्माण कार्य किया जा रहा है/निर्माण के लिए लिया जा रहा है ।

(ङ) ब्यौरा विवरण–II में है **(नीचे देखिए)** ।

(च) फ्लैटों के निपटान मूल्य/लागत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के आधार पर लगाया जाता है जिसमें निर्माण लागत, आबंटन के समय भूमि प्रीमियम एवं अन्य सम्बद्ध तथा ऊपरी प्रभार सम्मिलित होते हैं ।

विवरण–I

वर्ष	श्रेणी					योग
	एसएफएस	एमआईजी	एलआईजी	जनता/ ईडब्ल्यूएस	स्टाफ हाउसिंग	
	वर्ष-वार लक्ष्यों का ब्यौरा					
1992–93	2000	1481	3028	1835	80	8424
1993–94	1818	3276	4041	1006	—	10141
	वर्ष-वार बनाये गये फ्लैटों की संख्या					
1992–93	1941	1256	2776	1903	—	7176
1993–94	1641	2716	3473	31	—	8661

विवरण–II

क्र०सं०	श्रेणी	जोन	स्थान का नाम		बिक्री लागत
1	एमआईजी	ईजेड	ईस्ट आफ लोनी रोड	जीएफ	4,18,500/–
				एफएफ	3,63,100/–
				एसएफ	3,43,000/–
				टीएफ	3,30,500/–
2	एलआईजी	ईजेड	कीमत नहीं आंकी गई		
3	जनता/डब्ल्यूएस/सीएसपी	ईजेड	कोंडली घरोली	जीएफ	1,15 400/–
				एफएफ	1,21,700/-

1	2	3	4	4	5
4	शून्य				
5	एलआईजी	डब्ल्यूजेड	पश्चिम विहार	जीएफ	2,65,200/- और 2,67,100/-
				एफएफ	2,44,500/-
				एसएफ	2,44,500/-
6	जनता	डब्ल्यू जेड	रघुबीर नगर	जीएफ	95,500/- और 98,400/-
				एफएफ	1,01,700/- और 1,04,600/-
7	एमआईजी	एसजेड	पुल पहलादपुर	जीएफ	4,16,100/-
				एफएफ	3,96,000/-
				एसएफ	3,96,000/-
				टीएफ	3,96,000/-
8	एलआईजी	एसजेड	मदनपुर खादर	जीएफ	2,31,100/-
				एफएफ	2,05,300/-
				एसएफ	2,05,500/-
				टीएफ	1,92,600/-
9	जनता	एसजेड	पंचशील	जीएफ	1,03,300/- और 1,14,900/-
				एफएफ	1,34,600/- और 1,40,900/-
				एसएफ	1,46,200/-
10	एमआईजी	एनजेड	लारेंस रोड	जीएफ	4,80,700/-
				एफएफ	4,02,800/-
				एसएफ	3,78,100/-
				टीएफ	3,75,800/-

1	2	3	4	5		
11	शून्य					
12	जनता	एनजेड	अशोक विहार, फेज III	जीएफ एफएफ एसएफ	1,58,100/– 1,42,500/– 1,35,800/–	
13	एमआईजी	ईजेड	मयूर विहार फेज II	जीएफ एफएफ	4,35,200/– 3,98,100/–	वर्ष 19
14	एलआईजी	ईजेड	ममूर विहार: फेज II	एसएफ टीएफ	3,09,100/– 2,74,300/–	
15	जनता	ईजेड	चिल्ला गांव	जीएफ एफएफ	1,34,700/– 1,34,700/–	
16	एमआईजी	डब्ल्यूजेड	नासिरपुर गांव (द्वारका) प्रथम मंजिल इक्रीमेंटल	जीएफ	5,06,000/–	एरिया 51.4 स्केवर
17	एलआईजी	डब्ल्यूजेड	नसीरपुर गांव प्रथम मंजिल इंक्रीमेंटल	जीएफ	1,90,600/–	एरिया 20.4 स्केवर
18	जनता	डब्ल्यूजेड	नांगलोई	जीएफ एफएफ एफएफ(एफ)	1,53,200/– 1,54,100/– 1,60,100/–	

1	2	3	4	5	6
19	एमआईजी	एसजेड	पुल पहलादपुर	जीएफ	5,83,600/–
				एफएफ	5,54,900/–
				एसएफ	5,54,900/–
				टीएफ	5,54,900/–
20	जनता/ई डब्ल्यू एस	एसजेड	दक्षिण पुरी	जीएफ(ईयू)	1,46,600/–
				जीएफ(एमयू)	1,37,000/–
				एफएफ(ईयू)	1,40,600/–
				एफएफ(एमयू)	1,37,000/–
21	एमआईजी	एनजेड	जहांगीर पुरी	जीएफ	5,51000/–
				एफएफ(डबल स्टोरी)	4,61,200/–
				एफएफ (4 मंजिले)	4,73,900/–
				एसएफ	4,47,500/–
				टीएफ	4,26,800/–
22	एलआईजी	एनजेड	रोहिणी	जीएफ(ईयू)	3,23,500/–
				जीएफ(एमयू)	3,15,800/–
				एफएफ(ईयू)	3,23,600/–
				एफएफ(एमयू)	3,16,400/–

नोट:— फ्लैट के कुर्सी और योजना के घनत्व के आधार पर बिक्री लागत फ्लैट, तल दर तल और योजना दर योजना अलग-अलग होती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) के फ्लैट के स्वामित्व के परिवर्तन पर समाचार पत्र में प्रकाशित खबर

634. **श्री गया सिंह :**
श्री चतुरानन मिश्र :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 नवम्बर, 1994 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ओनरशिप चेन्ड ओल्ड कपल डिप्राइवड आफ फ्लैट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिलशाद गार्डन में एक एम.आई.जी. फ्लैट नं० सी-2/एफ-2 प्रारंभ में श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी को आवंटित किया गया था। दि.वि.प्रा. के फ्लैटों को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन बाबत भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना एक साधारण मुख्तार-नामा धारक श्री अजय श्रीवास्तव ने अपेक्षित दस्तावेजों सहित इस फ्लैट के परिवर्तन हेतु आवेदन किया। निर्धारित जांच-पड़ताल के पश्चात, इस मामले में श्री अजय श्रीवास्तव के नाम में लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन की अनुमति दे दी गई थी।

तत्पश्चात, श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी ने एक आवेदन पत्र दिया और आरोप लगाया कि दि.वि.प्रा. ने उक्त फ्लैट के परिवर्तन की अनुमति जाली दस्तावेजों के आधार पर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके तथा श्री अजय श्रीवास्तव, जोकि उक्त फ्लैट में उनका किरायेदार है, के बीच सिविल कोर्ट में एक मामला लम्बित है। अन्ततः श्रीमती सुरिन्द्र ने दि.वि.प्रा. से श्री अजय श्रीवास्तव के पक्ष में जारी किये गये अन्तरण विलेख को रद्द करने का अनुरोध किया है। निम्नलिखित कारणों से अभी तक उसे रद्द नहीं किया गया है :—

(1) इस परिवर्तन मामले संबंधी फाइल गायब है। इस बाबत 30-3-94 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले बाबत पुलिस की रिपोर्ट भी प्रतीक्षित है।

(2) दस्तावेजों के जाली होने बाबत जांच की जानी है। अभी तक हस्तलेख विशेषज्ञ की राय नहीं ली गई है।

(3) श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी ने धोखाधड़ी के आरोप बाबत पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई है। इस संबंध में पुलिस जांच का निष्कर्ष अभी ज्ञात नहीं है।

(4) कानूनी परामर्श यह है कि दि.वि.प्रा. द्वारा अन्तरण विलेख रद्द किये जाने से पूर्व श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी को अपने अधिकारों बाबत न्यायालय से निर्णय लेना चाहिए।

(5) दि.वि.प्रा. द्वारा जारी किए गए नोटिस के उत्तर में, श्री अजय श्रीवास्तव ने बताया है कि श्रीमती सुरिन्द्र कुमारी ने यह फ्लैट उन्हें बेच दिया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू. डी.) द्वारा सुपर बाजार का रख-रखाव

635. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :**
श्री दिलीप सिंह जूदेव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सुपर बाजार की आवंटित भवनों की मरम्मत/परिवर्तन करने का कार्य कर रहा है ;